

23/12/22

पत्तावली पत्र दिनांक 21/12/22 को आवश्यक
घरों के कारण आज पत्र ही अधिवस्तु
वादी दायित्व नहीं। बाल-2 आवश्यक
लगायी गई। अनालक्षण / वकालत
दायित्व नहीं होने पर पत्तावली अद्य
पेशी / अद्य दायित्व में रखा
की जाती है पत्तावली को लाना एक
बाद लक्षित दायित्व प्राप्त हो

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

